

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/02/2017/1946 भोपाल, दिनांक 16.7.17

— आदेश —

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04
01	श्री जेकेशर्मा	ग्वालियर	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा नीमच किया गया स्थानांतरण संशोधित कर मुरैना पदस्थ किया जाता है ।
02	श्री मुकेश कुमार भटनागर	आगर मालवा	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा सागर किया गया स्थानांतरण संशोधित कर नीमच पदस्थ किया जाता है ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्त—


- (01)—स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)—जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)— स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)—स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)—स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वान करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/02/2017/1946  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 16.7.17

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
  - 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
  - 03- जिला कलेक्टर, ग्वालियर/नीमच/मुरैना /आगरमालवा/सागर ।
  - 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग उज्जैन/ग्वालियर/सागर ।
  - 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण ग्वालियर/नीमच/मुरैना/  
आगरमालवा/सागर ।
  - 06- जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर/नीमच/मुरैना /आगरमालवा/सागर ।
  - 07- सर्वसंबंधित अनुक्रमांक 01 से 02 तक की ओर पालनार्थ ।
  - 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त (61)  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/02/2017/1949 भोपाल, दिनांक 16.7.17

— आदेश —

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को प्रशासकीय आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04
01	श्री बी0एल0कछवाह	मण्डला	आईसीडीपी मण्डला

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें—

- (01)—स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश किंयान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)—जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)— स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)—स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉयज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)—स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वान करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।


(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/02/2017/1949

भोपाल दिनांक/67-17

प्रतिलिपि-

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
  - 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
  - 03- जिला कलेक्टर मण्डला ।
  - 04- डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, मानीटरिंग सेल आईसीडीपी मुख्यालय ।
  - 05- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग जबलपुर ।
  - 06- सहायक आयुक्त सहकारिता जिला मण्डला ।
  - 07- महाप्रबंधक आईसीडीपी मण्डला ।
  - 08- जिला कोषालय अधिकारी मण्डला ।
  - 09- श्री बी0एल0कछवाह, व0स0नि0 द्वारा- सहायक आयुक्त सहकारिता मण्डला ।
  - 10- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/03/2017/1950 भोपाल, दिनांक 16.7.17

— आदेश —

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को प्रशासकीय आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04
01	श्री अशोक कुमार जैन	मुरैना	आईसीडीपी मुरैना
02	श्री विजय अंधारे	श्योपुर	आईसीडीपी श्योपुर
03	श्री प्रभात मिश्रा	पन्ना	आईसीडीपी पन्ना
04	श्री अनिल श्रीवास्तव	शिवपुरी	आईसीडीपी शिवपुरी

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें—

- (01)—स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)—जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)— स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)—स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)—स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वान करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

(अजय कुमार दीक्षित)


अपर आयुक्त

सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/03/2017/1950  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 16.7.17

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03- जिला कलेक्टर मुरैना/शयोपुर/पन्ना/शिवपुरी ।
- 04- डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, मानीटरिंग सेल आईसीडीपी मुख्यालय ।
- 05- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग मुरैना/ग्वालियर/सागर ।
- 06- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण मुरैना/शयोपुर/पन्ना/शिवपुरी ।
- 07- महाप्रबंधक आईसीडीपी मुरैना/शयोपुर/पन्ना/शिवपुरी ।
- 08- जिला कोषालय अधिकारी मुरैना/शयोपुर/पन्ना/शिवपुरी । ।
- 09- सर्वसंबंधित अनुक्रमांक 01 से 04 की ओर पालनार्थ ।
- 10- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/04/2017/1952 भोपाल, दिनांक 16.7.17  
- आदेश -

सहकारिता विभाग के उपअंकेक्षक संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय पर कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.मांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थ स्थान	नवीन पदस्थ स्थान
01	02	03	04
01	श्री राजेन्द्र पंसारी	भोपाल	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा मण्डला किया गया स्थानांतरण संशोधित कर होशंगाबाद पदस्थ किया जाता है ।
02	श्री राजेश दुवे	टीकमगढ़	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा मदसौर किया गया स्थानांतरण संशोधित कर छतरपुर पदस्थ किया जाता है ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें-


- (01)-स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)-जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)-स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)-स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वान करके के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/04/2017/1952  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 16.7.17

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03- जिला कलेक्टर भोपाल/मण्डला/होशंगाबाद/टीकमगढ/मंदसौर/छतरपुर ।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग भोपाल/होशंगाबाद/जबलपुर/सागर ।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण भोपाल/मण्डला/होशंगाबाद/  
टीकमगढ/मंदसौर/छतरपुर ।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी भोपाल/मण्डला/होशंगाबाद/टीकमगढ/मंदसौर/  
छतरपुर ।
- 07- सर्वसंबंधित अनुक्रमांक 01 से 02 तक की ओर पालनार्थ ।
- 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0



कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/04/2017/1951

भोपाल, दिनांक 16.7.17

- आदेश -


सहकारिता विभाग के उपअंकेक्षक संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री सुधाकर पाण्डेय	सीहोर	भोपाल
02	श्री संजय दवे	झाबुआ	धार

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें-


- (01)-स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)-जिन कर्मचारी के स्थानान्तरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)- स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)-स्थानान्तरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)-स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वार्इन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

  
(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/04/2017/1951  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 16.7.17

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03- जिला कलेक्टर सीहोर/भोपाल/झाबुआ/धार म0प्र0 ।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग भोपाल/इन्दौर ।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण सीहोर/भोपाल/झाबुआ/धार ।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी सीहोर/भोपाल/झाबुआ/धार म0प्र0 ।
- 07- सर्वसंबंधित अनुक्रमांक 01 से 02 की ओर पालनार्थ ।
- 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/02/2017/1948 भोपाल, दिनांक 16.7.17

- आदेश -

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को प्रशासकीय आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री पी0के0मिश्रा	सिंगरौली	उमरिया
02	श्री मोहनलाल ताम्रकार	जबलपुर	कटनी
03	श्री आर0के0शर्मा	छतरपुर	टीकमगढ
04	श्री बसंत मगरदे	बैतूल	इन्दौर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें-

- (01)-स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)-जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)-स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)-स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।


(अजय कुमार दीक्षित)

अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कमांक/स्थापना/02/2017/1948  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 16.7.17

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03- जिला कलेक्टर,सिंगरौली/उमरिया/जबलपुर/कटनी /छतरपुर/टीकमगढ  
/बैतूल/इन्दौर ।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग रीवा/शहडोल/जबलपुर/सागर/  
इन्दौर/नर्मदापुरम ।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण सिंगरौली/उमरिया/जबलपुर/  
कटनी/छतरपुर/टीकमगढ/बैतूल/इन्दौर ।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी सिंगरौली/उमरिया/जबलपुर/कटनी /छतरपुर/  
टीकमगढ /बैतूल/इन्दौर ।
- 07- सर्वसंबंधित 01 से 04 तक की ओर पालनार्थ ।
- 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश  
क्रमांक/स्थापना./02/2017/1947 भोपाल, दिनांक 16.7.17

— आदेश —

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री कमल सिंह गार्डे	अलीराजपुर	धार
02	श्री विजय कुमार मिश्रा	रीवा	सतना
03	श्री आनन्द पाराशर	शिवपुरी	ग्वालियर
04	श्री पी0सी0सोलंकी	खरगोन	इन्दौर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें—

- (01)—स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)—जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)— स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)—स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)—स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वार्इन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।


(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कमांक / स्थापना / 02 / 2017 / 1947

भोपाल दिनांक 16.7.17

प्रतिलिपि-

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03- जिला कलेक्टर, अलीराजपुर / धार / रीवा / सतना / शिवपुरी / ग्वालियर / खरगोन / इन्दौर ।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग रीवा / इन्दौर / ग्वालियर ।
- 05- उप / सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण अलीराजपुर / धार / रीवा / सतना / शिवपुरी / ग्वालियर / खरगोन / इन्दौर ।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी अलीराजपुर / धार / रीवा / सतना / शिवपुरी / ग्वालियर / खरगोन / इन्दौर ।
- 07- सर्वसंबंधित 01 से 04 तक की ओर पालनार्थ ।
- 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त (4)  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/03/2017/1945 भोपाल, दिनांक 16.7.17

— आदेश —

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री राजीव तिवारी	दमोह	पन्ना
02	श्री विनोद मिश्रा	टीकमगढ़	पन्ना
03	श्री आर0के0शर्मा	राजगढ़	भोपाल
04	श्री राधेश्याम मेहर	उज्जैन	देवास
05	श्री विनित विल्सन तिर्की	उज्जैन	मण्डला
06	श्री अमित ठाकुर	नरसिंहपुर	जबलपुर
07	श्री एम0एल0कोरी	दमोह	सागर
08	श्री मनीष खरे	दतिया	विदिशा
09	श्री डी0डी0बरसैया	ग्वालियर	दतिया
10	श्री मनोज श्रीवास्तव	दतिया	शाजापुर
11	श्री मनीष चौधरी	शाजापुर	देवास
12	श्री अजय शर्मा	दतिया	शाजापुर
13	श्री अरविन्द कुमार जैन	कटनी	जबलपुर
14	श्री सोनीलाल गौड	जबलपुर	कटनी

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें—

- (01)—स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश कियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)—जिन कर्मचारी के स्थानान्तरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)— स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवको के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(04)–स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधी पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉयज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।

(05)–स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वॉइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

(अजय कुमार दीक्षित)

अपर आयुक्त

सहकारिता म0प्र0

भोपाल दिनांक 16.11.17

क्रमांक/स्थापना/03/2017/1945

प्रतिलिपि-

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
  - 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
  - 03- समस्त जिला कलेक्टर म0प्र0 ।
  - 04- समस्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग म0प्र0 ।
  - 05- समस्त उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण म0प्र0 ।
  - 06- समस्त जिला कोषालय अधिकारी म0प्र0 ।
  - 07- सर्वसंबंधित अनुक्रमांक 01 से 14 की ओर पालनार्थ ।
  - 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर आयुक्त

सहकारिता म0प्र0



कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/03/2017/1944 भोपाल, दिनांक 16.7.17  
- आदेश -

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को प्रशासकीय आधार पर अन्य आगामी आदेश होने तक कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	छतरपुर	टीकमगढ़
02	श्री जितेन्द्र सिंह यादव	छतरपुर	सागर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें-


- (01)-स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)-जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)- स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)-स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधी पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)-स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वान करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/03/2017/1944  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 16-7-17

- 01- प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03- जिला कलेक्टर छतरपुर,टीकमगढ, सागर ।
- 04- संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग सागर ।
- 05- उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण छतरपुर,टीकमगढ, सागर ।
- 06- जिला कोषालय अधिकारी छतरपुर,टीकमगढ, सागर ।
- 07- सर्वसंबंधित अनुक्रमांक 01 से 02 की ओर पालनार्थ ।
- 08- स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश  
क्रमांक/स्थापना/03/2017/1943 भोपाल, दिनांक 16.7.17

- आदेश -

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय पर कालम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क मां क	नाम कर्मचारी व पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
01	02	03	04
01	श्री बसंत कुमार रोहित	सागर	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा बैतूल किया गया स्थानांतरण संशोधित कर दमोह पदस्थ किया जाता है ।
02	श्री एच0के0झाम	टीकमग ढ	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा मंदसौर किया गया स्थानांतरण संशोधित कर छतरपुर पदस्थ किया जाता है ।
03	श्रीआर0के0श्रीवास्तव	टीकमग ढ	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा मंदसौर किया गया स्थानांतरण संशोधित कर छतरपुर पदस्थ किया जाता है ।
04	श्री अजय आहूजा	ग्वालियर	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा शाजापुर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत ग्वालियर पदस्थ किया जाता है ।
05	श्री मनोहर कैथवास	आगर मालवा	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा उज्जैन किया गया स्थानांतरण संशोधित कर देवास पदस्थ किया जाता है ।
06	श्री नन्हूलाल गर्ग	सतना	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा नरसिंहपुर किया गया स्थानांतरण संशोधित कर रीवा पदस्थ किया जाता है ।
07	श्री दिनेश कुमार दंदेलिया	उज्जैन	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा इन्दौर किया गया स्थानांतरण संशोधित कर देवास पदस्थ किया जाता है ।
08	श्री एच0एस0तिवारी	पन्ना	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा देवास किया गया स्थानांतरण संशोधित कर इन्दौर पदस्थ किया जाता है ।
09	श्री नरेश कुमार सगर	ग्वालियर	आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा शाजापुर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत ग्वालियर पदस्थ किया जाता है ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें—

- (01)—स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
- (02)—जिन कर्मचारी के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- (03)— स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वानिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (04)—स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका, भविष्य निधी पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
- (05)—स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वानिंग करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा ।

(अजय कुमार दीक्षित)

अपर आयुक्त

सहकारिता म0प्र0

भोपाल दिनांक 16.7.17

क्रमांक/स्थापना/03/2017/1943

प्रतिलिपि—

- 01— प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्रीजी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल ।
- 03— समस्त जिला कलेक्टर म0प्र0 ।
- 04— समस्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग म0प्र0 ।
- 05— समस्त उप/सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण म0प्र0 ।
- 06— समस्त जिला कोषालय अधिकारी म0प्र0 ।
- 07— सर्वसंबंधित कर्मचारीगण 01 से 09 की ओर पालनार्थ ।
- 08— स्थापना 07 एवं 12 मुख्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर आयुक्त

सहकारिता म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र.

क्रमांक/स्था/6/2017/1953

भोपाल, दिनांक 16.7.17

::आदेश::

सहकारिता विभाग के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के निम्न कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर कॉलम नं.-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थी स्थान	नवीन पदस्थी स्थान
1	2	3	4
01	श्री भावेश बम्बोरी	कार्या० उप आयुक्त जिला अलीराजपुर	कार्या० उप आयुक्त जिला रतलाम

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि 01 सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
2. जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका, एम्पलाईज कोड/डाटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) आदि नवीन पदस्थापना कार्यालय में 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावे।
5. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वार्इन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावे।


(अजय कुमार दीक्षित)  
सहकारिता, म०प्र०  
भोपाल, दिनांक 16.7.17

क्रमांक/स्था/6/2017/1953

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला अलीराजपुर/रतलाम।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर/उज्जैन संभाग।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला अलीराजपुर/रतलाम।

06. जिला कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर/रतलाम।
07. सहायक आयुक्त सहकारिता (देयक) मुख्यालय।
08. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
09. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
10. सर्व संबंधित की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता, म0प्र0

**कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र.**

क्रमांक/स्था/6/2017/2178

भोपाल, दिनांक 22.7.17

::आदेश::

01- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था/6/2017/1900 दिनांक 10.07.17 के अनुक्रमांक 03 पर अंकित श्री रमेश शर्मा, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० जिला मिण्ड का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर कार्या० उप आयुक्त सह० मुरैना किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर श्री रमेश शर्मा, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० जिला मिण्ड के स्थान पर श्री राकेश शर्मा, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० जिला मिण्ड पढ़ा जावे।

02- उपरोक्त आदेश के अनुक्रमांक 10 पर अंकित श्री भगवत सिंह ठाकुर, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० भोपाल का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर कार्या० उप आयुक्त सह० सीहोर किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर श्री भगवत सिंह ठाकुर, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० भोपाल के स्थान पर श्री भगवत सिंह ठाकुर, भृत्य मुख्यालय पढ़ा जावे।


03- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था/6/2017/1900 दिनांक 10.07.17 के अनुक्रमांक 07 पर अंकित श्री लक्ष्मण साहू, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० सागर का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर कार्या० सहायक आयुक्त सह० हरदा किया गया है एवं अनुक्रमांक 05 पर अंकित श्री मटरू लाल, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० जिला सतना का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर कार्या० उप आयुक्त सह० जिला रीवा किया गया है।।

उक्त आदेश के अनुक्रमांक 07 पर अंकित श्री लक्ष्मण साहू, भृत्य कार्या० उप आयुक्त सह० सागर का एवं अनुक्रमांक 05 पर अंकित श्री मटरू लाल, भृत्य का प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाता है।

04- उपरोक्त आदेश के अनुक्रमांक 08 पर अंकित श्री भगवत साहू, भृत्य मुख्यालय का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर कार्या० उप आयुक्त सह० सीहोर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुक्रमांक 08 पर अंकित श्री भगवत साहू, भृत्य मुख्यालय के स्थानांतरण आदेश में अंकित नाम को विलोपित किया जाता है।

उक्त आदेश का शेष अंश यथावत रहेगा।


  
(अजय कुमार दीक्षित)  
अपर आयुक्त  
सहकारिता, म०प्र०

क्रमांक/स्था/6/2017/2178

भोपाल, दिनांक 22-7-17

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला मिण्ड/मुरैना/भोपाल/सीहोर/सागर/हरदा/सतना/रीवा।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल/नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद/सागर/रीवा/चंबल संभाग मुरैना।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला मिण्ड/मुरैना/भोपाल/सीहोर/सागर/हरदा/सतना/रीवा।
06. जिला कोषालय अधिकारी, विन्ध्यांचल भवन मिण्ड/मुरैना/भोपाल/सीहोर/सागर/हरदा/सतना/रीवा।
07. सहायक आयुक्त सहकारिता (देयक) मुख्यालय।
08. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
09. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
10. सर्व संबंधितों की ओर पालनार्थ।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता, म0प्र0